महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी

पुराना जकात घर, विकास विभाग इमारत, दूसरी मंजिल, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-४०० ००१

इमेल: mhhindiacademy@gmail.com दुरभाष : ०२२- २२६७ २५३९.

क)ग्रंथालय अनुदान योजना :

योजना का उद्दिष्ट :

सिंधी पुस्तकें और साहित्य के माध्यमव्दारा ही सिंधी साहित्य का प्रचार और प्रसार होने की संभावना अधिक मात्रा में होने के कारण ग्रंथालयों को सिंधी किताबें खरेदी करने के लिए इस योजनातंर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है ।

योजना स्वरुप, और नियम :

- ग्रंथालयोंव्दारा सिंधी भाषा की पुस्तकें खरेदी करने लिए पुस्तकों की सुची देना आवश्यक है।
- पुस्तकों की सुची में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, साहित्यप्रकार, प्रकाशन संस्था का नाम, प्रकाशनवर्ष, और पुस्तक की किंमत अदि. विवरण जोडना आवश्यक है ।
- यह अनुदान ग्रंथालयों को केवल सिंधी भाषा के पुस्तकें खरीदी करने के लिए प्रदान किया जाएगा ।
- इस योजना के तहत पुस्तके खरेदी करने के लिए नवलकथा, कविता, नाटक, निबंध, ललितकथा, विवेचन, चिंतन, साहित्यिक संपादन, अदि साहित्यप्रकार का समावेश आवश्यक है किंतू साहित्येत्तर पुस्तकें जैसे : पाककृती, वैद्यकिय, अथवा शालेय पाठयक्रम, औद्योगिक क्षेत्र से जुडे किताबों की खरेदी के लिए अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा ।
- अनुदान से खरीदी किताब के पहले और अंतिम पन्नेपर निम्नलिखीत सिंधी भाषा में रबर स्टँम्प से छपवाना अनिवार्य है ।

यह किताब महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के ग्रंथालय अनुदान योजना के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से खरीदी कि गई है।

- जिन ग्रंथालयों को पुस्तक खरीदी करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ हो, उस संस्थाओं ने पुस्तके खरीदी करने के बाद देयकों की झेरॉक्स प्रतियां सनदी लेखापाल के स्वाक्षरी और स्टँम्प सहीत अकादमी कार्यालय को जमा करने के उपरांत ही उन ग्रंथालयों कों अगले साल के लिए अनुदान की माँग की जा सकेगी ।

पात्रता नियम :

- पंजीकृत संस्थाव्दारा संचलीत मुफ्त सेवा प्रदान करनेवाले ग्रंथालय को ही इस योजना का लाभ मिलेगा ।
- निजी अथवा व्यावसायिक तत्व पर चलनेवाले ग्रंथालय इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे ।

अनुदान का स्वरुप :

- हर साल रु. २०,०००/- से रु. २५,०००/- तक मुल्य के किताबों की खरीदी के लिए यह अनुदान राशी प्रदान की जाएगी